



भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय

वित्तीय प्रणालियां



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

इस पत्रिका में निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दी गई है:

- आय
- व्यय
- बचत
 - बचत के लाभ
 - बैंक में निवेश करना
 - डाक घर में निवेश करना
- प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाइ)
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)
- ऋण

वित्तीय प्रणालियों का परिचय

वित्तीय प्रणाली आर्थिक संरचना के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण सांख्यानिक और कार्यात्मक माध्यम है। यह वित्तीय संसाधनों के आवटन के मामले में अतीत बर्तमान और सविष्य के बीच अंतर को कम करने में सहायता करती है और

यह निधियों, आय के दब आवटन को सुविधाजनक बनाती है, जिससे अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह में सहायता मिलती है।

आय

- आय किसी चेजगाह या उद्यम के माध्यम से एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा एकत्रित की जाने वाली कमाई है जिसे आम तौर पर मौद्रिक रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।
- तथापि, परिवारों तथा व्यक्तियों के लिए "आय एक निर्धारित समयावधि में प्राप्त की गई समस्त मजदूरियों, वेतन, लाभ, व्याज, किसाए तथा अन्य प्रकार के अर्जिनों का जोड़ है।"
- बजट व्यवस्था आय के इष्टतम उपयोग तथा व्यय और बचत की आयोजना के लिए महत्वपूर्ण है।

व्यय

- किसी बीज के मूल्य के बदले मुगतान की गई अथवा प्रेषित की गई अथवा प्रेषित की गई लागत को व्यय कहा जाता है।
- यह किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को किसी वस्तु या सेवा अथवा किसी श्रेणी की लागत के लिए मुगतान की गई घनशस्त्रि है।
- व्यय में नकद किया गया मुगतान (जैसे कि किशाया या बिल), किसी परिसम्पति का परिकलिक समाप्त माग (मूल्यहास) अथवा अर्जित आय से निकाली गई शाशि (जैसे अशोध्य ऋण, अलामकारी निवेश) शमिल हो सकती है।

बचत

- बचत धन का संरक्षण है। बचत की विधियों में धन को अलग करके किसी बैंक या पेंशन योजना में रखना या लगाना शामिल है। बचत में व्यय जैसे आवर्ती लागतों कम करना भी शामिल है।
- बचत सामान्यतः हरतगत नकदी के रूप में, बचत खाते में अथवा कुछ अत्यधिक तरल नकदी (तथा सुखित) लिखतों जैसे सरकार द्वारा निर्गत शाजकोर्सीय हुंडियों के रूप में अपनी कमाई के एक माग को अलग रखने की सहत प्रक्रिया है।
- बचत निम्न के लिए सहायक है:
 - परिवार की विभिन्न आवशकताएं पूरी करने के लिए
 - आपात स्थितियों का सामना करने के लिए

- वृद्धावस्था में सुख्ता सुनिश्चित करने के लिए
- रहन सहन का अच्छा रत्न बनाए रखने के लिए

निवेश

- निवेश व्याज, आय या प्रतिफल (वृद्धि) के रूप में लाभप्रद प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से वित्तीय लिखतों या अन्य परिसम्पत्तियों की खरीद के लिए धन की वचनबद्धता है।

निवेश के तरीके



बैंक में निवेश करना

- धन रखने का सुरक्षित माध्यम धन को बैंक में रखना है। बैंक धन को सुरक्षित ही नहीं रखता बल्कि उस धन तक हमारी पहुँच को भी आसान बनाता है।
- खाता खोलने के लिए निम्न दस्तावेज अपेक्षित होते हैं:
 - पहचान का वैध प्रमाण
 - पते का प्रमाण
 - पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ
- क्रेडिट कार्ड भी बहुत अधिक नकदी साथ में लिए बिना खर्च करने का सरल तरीका है। क्रेडिट कार्ड हालांकि हम पहले धनशासि खर्च कर सकते हैं तथा बिल का मुगलान बाद में कर सकते हैं।
- इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग ने बैंकिंग को सुगम बना दिया है। इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन अंतरण तथा मुगलान ने बैंकिंग को सहज और सुगम्य बना दिया है।

बैंक खातों के प्रकार



डाकघर में निवेश करना

- डाकघर बचत बैंक देश में सबसे पुणी और कुल मिलाकर सबसे बड़ी बैंकिंग प्रणाली है। जो शहरी और ग्रामीण, दोनों प्रकार के ग्राहकों की निवेश आवश्यकता को पूरा करती है।
- डाकघर लघु बचत योजनाएं छोटे निवेशकों के लिए एक सुशक्ति जोखिम मुक्त और आकर्षक निवेश विकल्प उपलब्ध कराती है तथा अपने 1,55,000 डाकघरों के माध्यम से बचत उत्पादों को उपलब्ध कराती है।
- डाक घर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सेवाओं में बचत तथा डाक जीवन बीमा (पीएलआई) / ग्रामीण डाक बचत बीमा (आरपीएलआई) शामिल हैं।

डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं

बचत बैंक खाता (एस बी)	• नियमित जमा और आहणों (पैसा निकालने) की आवश्यकता को पूरा करता है।
आवर्ती जमा खाता (आरडी)	• अच्छे प्रतिफल के साथ मासिक निवेश विकल्प की पेशकश करता है।
मासिक आय योजना (एमआईएम)	• मासिक व्याज मुगातान की प्राप्ति के साथ पांच वर्ष के लिए नियत विवेश विकल्प की पेशकश करती है।
लोक भविष्य निधि (पीपीएफ)	• आयकर छूट सहित 15 वर्षिय अवधि के लिए कठिपय सीमाओं के अद्यवीन मध्यवर्ती जमाओं की पेशकश करती है।
मियादी जमा (टीडी)	• एक दो तीन से पांच वर्ष की अवधियों के लिए नियत जमा विकल्प जिसमें ब्रॉडबैंड व्याज दर पर वार्षिक व्याज के आहण की सुविधा है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एमसीएमएस)

- इसमें वरिष्ठ नागरिकों हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए उच्चतर ब्याज दर पर नियत निवेश विकल्प की पेशकश की जाती है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एनएसपी) (आवारा) निर्वाचन

- विभिन्न मूल्य वर्गों के प्रमाण पत्रों में 5 वर्ष के लिए नियत निवेश

राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (नौवा) निर्वाचन

- 10 वर्ष की नियत निवेश अवधि

प्रधानमंत्री जनधन योजना

वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन जिसे प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम दिया गया है, का उद्देश्य सर्वाधिक गरीब लोगों को बैंक खातों के साथ जोड़ना है। योजना की विशिष्ट विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- देश मर में सभी परिवारों - शहरी और ग्रामीण दोनों - को योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना है। 15 करोड़ निर्वाचन लोगों के लिए बैंक खाते खोले जाएंगे।
- योजना के अंतर्गत खोले गए सभी बैंक खातों में आधार संबद्ध खातों के लिए खाते के 6 माह तक संतोषप्रद प्रबालन के परवात 5000/- रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा होगी।
- रु पेय डेविट कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेस कापेशन (एचडीएफसी) अर्गॉ द्वारा प्राप्त एक लाख रुपए की अंतर्हित वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सुरक्षा और जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा 30,000/- रुपए की जीवन सुरक्षा होगी।
- जो खाता धारकों और बैंक के बीच अंतिम कड़ी उपलब्ध कशाएंगे उन व्यवसाय संवाददाताओं को 5000/- रुपए का न्यूनतम मासिक पारिवारिक मिलेगा।

किसान क्रेडिट कार्ड

- किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत वर्ष 1998-99 में मारत सरकार, मारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबांडी द्वारा) द्वारा की गई थी।
- किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा कृषक बैंक ऋण रक्कीनिंग प्रक्रियाओं से गुजरे बिना, जिसमें बहुत समय लगता है, नकद ऋण सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। किसी मौसम में यदि किसान की फसल खराब हो जाए तो ऋण के मुगतान को किसी और समय के लिए परिवर्तित किया जा सकता है और इस अवधि को केवल चार वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- यह कार्ड तीन वर्ष के लिए वैद्य है तथा इसका नवीकरण वार्षिक रूप से कशाना अपेक्षित है।

- किसान क्रेडिट कार्ड के लिए संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार रु पैय जो मास्तीय राष्ट्रीय मुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा शुरू की गई एक नवीन कार्ड मुगतान योजना है, ने रु पैय किसान क्रेडिट कार्ड की शुरूआत की है जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड और रु पैय दोनों के लाभ सम्मिलित हैं।

रु पैय किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ

बीजा और मार्टर कार्ड नेटवर्क से मिन्न, रु पैय प्रविष्ट शुल्क प्रमाणित नहीं करता।

रु पैय एकल तथा दोहरी दोनों प्रकार की संदेश प्रणालियों को सम्मालने के लिए पूर्णतया सुसज्जित है।

रु पैय एक पिन आधारित उत्पाद है अतः यह ज्यादा सुझा प्रदान करता है।

इसकी संरचना पूर्णतया बैब आधारित है अतः सदर्य बैंकों को एक पृथक फाईल आधारित इन्टरफेस विकसित नहीं करना पड़ेगा।

रु पैय में प्रगत विशेषताएं सम्मिलित हैं जैसे एसएमएस मन्त्र पर मीटिंग और अधिभार प्रोसेसिंग समर्थकारी बनाने के लिए समायोजन फाईल की प्रोसेसिंग।

प्रशासन लागतें और लिमाही प्रभार वर्तमान अंतरराष्ट्रीय योजनाओं की तुलना में अति मिन्न हैं।

सामान्य किसान क्रेडिट कार्ड से मिन्न, जो मात्र पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है तथा नियंत्रण आधार पर लेन देनों की सिकार्डिंग को सुविधाजनक बनाता है, रु पैय किसान क्रेडिट कार्ड वरतुतः एक रसार्ट कार्ड है जिसका प्रयोग नकदी का आहरण करने के लिए नजदीकी एटीएम/पांइट ऑफ सेल में किया जा सकता है। इसमें खाता प्रबालित करने के लिए बैंक की शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

ऋण

- ऋण उद्याप ली गई छनशाशि है जिसका मुगतान मविष्य में व्याज रहित किया जाता है।
- ऋण के लिए आवेदन के समय बैंक यह जानना चाहते हैं कि उधारकर्ता विचारीय रूप से कितना सुदृढ़ है।
- ऋण पात्रता का निर्णय करने हेतु कुछ विचारणीय मुद्दें हैं जिनकी सूची नीचे दी गई है।

ऋण पात्रता



- अनेक प्रकार के ऋण उपलब्ध हैं। ये गृह ऋण, गृह सुधार ऋण, कार ऋण, दुपहिया ऋण, शिक्षा ऋण, विवाह ऋण, व्यवसाय ऋण, प्रतिमूर्ति के एवज में ऋण, वैयक्तिक ऋण तथा अनिवासी मार्गीय (एनआरआई) ऋण हैं।
- ब्याज का परिकलन दैनिक, मासिक, तिमाही या वार्षिक आधार पर किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक अवधि के अंत में बकाया मूल ऋण के हिसाब से ब्याज दर का परिकलन किया जाता है।
- प्रतिमूर्तियों या किसी अन्य मूल्यवान परिसम्पत्ति के एवज में भी ऋण लिया जा सकता है जिसे बैंक स्वीकार करने को तैयार हो।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम उधार देने की योजनाओं नामतः सावधि ऋण योजना और लघु वित्तपोषण योजना के तहत ऋण प्रदान करता है।

ब्याज दर

- ब्याज दर ऋण काशर पर निर्भर करती है। ब्याज दर नियत या फ्लोटिंग/परिवर्ती हो सकती है जो इस बात पर निर्भर है कि ऋण लेते समय किस विकल्प को चुना गया था।
- ब्याज दरें और प्रक्रिया विधि – बैंक विशिष्ट होती हैं।

प्रशिक्षक शामिल किए गए विषयों, संबंधित गतिविधियों और अनुलग्नकों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल में तीस्रा दिन सत्र 4 का संदर्भ ले सकते हैं।

टिप्पणियाँ



भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय
11 वीं मंजिल, पर्यावरण भवन
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली 110016



राष्ट्रीय जन सहयोग
एवं बाल विकास संस्थान (निपसि८)
5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास
नई दिल्ली-110016